न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 110/2025

उनवान :

शौर्य पुत्र मनीष कुमार नाबालिग जरिये कुदरतीवली दादी सुमित्रा पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. सुरेश पुत्र सन्तुराम जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील भादरा।
2. मोनिका पुत्री सुरेशकुमार पत्नी पवनकुमार जाति जाट निवासी राजपुरा हाल निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
3. काजल मुण्ड पत्नी मनीषकुमार जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील भादरा।
4. एसबीआई शाखा भादरा जरियें शाखा प्रबंधक भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री विरेन्द्र जाखड़ **: वादी**

वकील सुश्री रीटा चौधरी **: प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय

दिनांक : 13.06.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अनूपशहर के खाता संख्या 365/436 के खसरा संख्या 178 की 3.857 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुरेश कुमार के नाम 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा 10 बीएचडी के खाता संख्या 117/89 के मु0नं0 40 के कि0नं0 11, 18 ता 22, मु0नं0 45 के कि0नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9, 10 मु0नं0 47 के कि0नं0 20 ता 25 मु0नं0 54 के कि0नं0 1 ता 25 कुल किता 43 की 10.373 है0 नहरी मय रास्ता वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सुरेश के नाम 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा सरदारपुरा बास के खाता संख्या 26/24 के मु0नं0 5 के कि0नं0 1/3, 1/4, 10/4, 10/5, 11/1, 11/2, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1 मु0नं0 14 के कि0नं0 1, 2 मु0नं0 15 के कि0नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, कुल किता 24 की 3.010 है0 बारानी मय रास्ता वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सुरेश के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।वादभूमि पहले वादी के परदादा सन्तुराम की खातेदारी हुआ करती थी जो बाद में सन्तुराम के देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 को कर्ता खानदान होने के चलते दर्ज हो गई। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से [illegible]

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया प्रतिवादी सं0 5 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में शौर्य पुत्र मनीष कुमार नाबालिग जरिये कुदरतीवली दादी सुमित्रा पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:56:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

में जमाबंदी रोही मौजा अनूपशहर खाता संख्या 365/436 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा रपुराबास खाता संख्याा 26/24 संवत 2077–2080 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मौजा 10 डी खाता संख्या 117/89 संवत 2076–79 प्रदर्श 3,पैतृक जमाबंदी रोही मौजा अनूपशहर 2071–74 खाता संख्या 436/414, प्रदर्श 4, जमाबंदी रोही मौजा सरदारपुरा बास –72 खाता संख्या 24/23 प्रदर्श 5, पैतृक जमाबंदी रोही मौजा 10 बीएचडी संवत –71 खाता संख्या 107/96 प्रदर्श 6, जमाबंदी रोही मौजा राजपुरा बारानी संवत –79 खाता संख्या 6/8 प्रदर्श 7, जमाबंदी रोही मौजा ढ़ाणी खोखरान खाता संख्या /69 संवत 2075–78 प्रदर्श 8, शपथ पत्र बावत सदस्य प्रमाण हेतु प्रदर्श 9, जमाबंदी रोही ा 9 बी0एच0डी0 संवत 2076–79 खाता संख्या 158/160 प्रदर्श 10, जमाबंदी रोही मौजा ी खोखरान खाता संख्या 65/65 संवत 2075–78 प्रदर्श 11 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए थन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं तेवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व कार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। प्रतिवादी 0 1 सुरेश के पास वादभूमि के अलावा रोही मौजा राजपुरा बारानी के खाता सं0 6/8 की 983 है0 में प्रतिवादी सं0 1 सुरेश कुमार के नाम 997/11966 हिस्सा, ढाणी खोखरान की ब्राता सं0 68/69 की 1.531 है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 सुरेश के नाम 506/7655 हेस्सा, खाता सं0 65/65 की 1.531 है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 सुरेश के नाम 1/2 हेस्सा व चक 9 बीएचडी के खाता सं0 158/160 की 0.253 है0 नहरी भूमि प्रतिवादी सं0 1 सुरेश के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो उसकी स्वअर्जित सम्पति है उसको प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत रखे जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा अनूपशहर, 10 बीएचडी तथा सरदारपुराबास के राजस्व रिकार्ड में अपने दादा के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 11 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा अनूपशहर के खाता संख्या 365/436 के खसरा संख्या 178 की 3.857 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुरेश कुमार के नाम 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा 10 बीएचडी के खाता संख्या 117/89 के मु0नं0 40 के कि0नं0 11, 18 ता 22, मु0नं0 45 के कि0नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9, 10 मु0नं0 47 के कि0नं0 20 ता 25 मु0नं0 54 के कि0नं0 1 ता 25 कुल किता 43 की 10.373 है0 नहरी मय रास्ता वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सुरेश के नाम 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा सरदारपुरा बास के खाता संख्या 26/24 के मु0नं0 5 के कि0नं0 1/3, 1/4, 10/4, 10/5, 11/1, 11/2, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1 मु0नं0 14 के कि0नं0 1, 2 मु0नं0 15 के कि0नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, कुल किता 24 की 3.010 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुरेश कुमार के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 सुरेश कुमार अकेले की बजाय वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivrah
Date: 2025.07.10 13:36:44 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अनूपशहर के खाता संख्या 365/436 के खसरा संख्या

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

की 3.857 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुरेश कुमार के नाम 1/4 हिस्सा तथा मौजा 10 बीएचडी के खाता संख्या 117/89 के मु0नं0 40 के कि0नं0 11, 18 ता 22, नं0 45 के कि0नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9, 10 मु0नं0 47 के कि0नं0 20 ता 25 नं0 54 के कि0नं0 1 ता 25 कुल किता 43 की 10.373 है0 नहरी मय रास्ता वादभूमि में तिवादी संख्या 1 सुरेश के नाम 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा सरदारपुरा बास के खाता ख्या 26/24 के मु0नं0 5 के कि0नं0 1/3, 1/4, 10/4, 10/5, 11/1, 11/2, 19/2, /1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1 मु0नं0 14 के कि0नं0 1, 2 मु0नं0 15 के कि0नं0 /1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, कुल किता 24 की 3.010 0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुरेश कुमार के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में र्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 सुरेश कुमार अकेले की बजाय वादी शौर्य पुत्र मनीष कुमार नाबालिग जरिये कुदरतीवली दादी सुमित्रा, प्रतिवादी संख्या 1 सुरेश कुमार तथा प्रतिवादी संख्या 2 मोनिका को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:56:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

ायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

रण सं0 : 110/2025

वान :

शौर्य पुत्र मनीष कुमार नाबालिग जरिये कुदरतीवली दादी सुमित्रा पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. सुरेश पुत्र सन्तुराम जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील भादरा।
2. मोनिका पुत्री सुरेशकुमार पत्नी पवनकुमार जाति जाट निवासी राजपुरा हाल निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा।
3. काजल मुण्ड पत्नी मनीषकुमार जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील भादरा।
4. एसबीआई शाखा भादरा जरियें शाखा प्रबंधक भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विरेन्द्र जाखड़ एवं वकील प्रतिवादीगण सुश्री रीटा चौधरी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अनूपशहर के खाता संख्या 365/436 के खसरा संख्या 178 की 3.857 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुरेश कुमार के नाम 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा 10 बीएचडी के खाता संख्या 117/89 के मु0नं0 40 के कि0नं0 11, 18 ता 22, मु0नं0 45 के कि0नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9, 10 मु0नं0 47 के कि0नं0 20 ता 25 मु0नं0 54 के कि0नं0 1 ता 25 कुल किता 43 की 10.373 है0 नहरी मय रास्ता वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सुरेश के नाम 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा सरदारपुरा बास के खाता संख्या 26/24 के मु0नं0 5 के कि0नं0 1/3, 1/4, 10/4, 10/5, 11/1, 11/2, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1 मु0नं0 14 के कि0नं0 1, 2 मु0नं0 15 के कि0नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, कुल किता 24 की 3.010 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 सुरेश कुमार के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 सुरेश कुमार अकेले की बजाय वादी शौर्य पुत्र मनीष कुमार नाबालिग जरिये कुदरतीवली दादी सुमित्रा, प्रतिवादी संख्या 1 सुरेश कुमार तथा प्रतिवादी संख्या 2 मोनिका को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.06.2025 को [illegible] एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:56:44 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner